

झाँसी नगर निगम, झाँसी ।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माणकार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्यों हेतु एकल निविदा पद्धति से ई-टेण्डरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार गड़ढा मुक्ति/सड़क नवीनीकरण अति अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	18.09.2026 3.00 PM	25.09.2026 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	25.09.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	25.09.2026 3:30 PM	

नोट -

- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 1453/जनकार्य वि०/न०नि०/2026-27

दिनांक :- 17/09/2026

प्रतिलिपि :-

- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
- सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये।
- पी०ए०, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
- आई०टी०एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी ।

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माणकार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्यों हेतु एकल निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार **गड़ढा मुक्ति/सड़क नवीनीकरण अति अल्पकालिक निविदा** आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	18.09.2026 3.00 PM	25.09.2026 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	25.09.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	25.09.2026 3:30 PM	

कार्य का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	वार्ड नं० 03 भट्टागांव में टैम्पो स्टैण्ड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए नाले तक हाटमिक्स प्लांट से पैच मरम्मत कार्य।	91841.00	95.00+18.00% GST	9200.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
2.	वार्ड नं० 05 ईसाइटोला में इकरा एकेडमी से दिनेश कुशवाहा तक हाटमिक्स प्लांट से पैच मरम्मत का कार्य।	136261.00	140.00+18.00% GST	13700.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
3.	वार्ड नं० 06 में अग्रेजी शराब की दुकान से एस०बी०आई० ऐ०टी०एम० तक डामरीकरण का कार्य।	651856.00	655.00+18.00% GST	65200.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
4.	वार्ड नं० 07 में मौं पीताम्बरा सुपर मार्केट से कब्रिस्तान होते हुए अफसर खान तक हाटमिक्स से पैच मरम्मत का कार्य।	782884.00	785.00+18.00% GST	78300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
5.	वार्ड नं० 09 सारन्धा नगर में डा० काशीराम से जनसेवा केन्द्र तक डामरीकरण का कार्य।	845811.00	850.00+18.00% GST	84600.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
6.	वार्ड नं० 09 में पुलिस चौकी से बहादुर होते हुए ट्रान्सफार्मर तक डामरीकरण का कार्य।	1223715.00	1225.00+18.00% GST	122400.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
7.	वार्ड नं० 09 सारन्धा नगर में मेवालाल से यादव दूध भण्डार तक डामरीकरण का कार्य।	844511.00	845.00+18.00% GST	84500.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
8.	वार्ड नं० 13 के अन्तर्गत कोछाभांवर में मौं पीताम्बरा फास्ट फूड से प्राथमिक विद्यालय के आगे तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	795420.00	795.00+18.00% GST	79600.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
9.	वार्ड नं० 15 में बहादुर गार्डन से छोटेलाल पूर्व पार्श्व होते हुए गढ़ियागांव की पलिया तक डामरीकरण का कार्य।	1265172.00	1265.00+18.00% GST	126600.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
10.	वार्ड नं० 17 नन्दनपुरा के अन्तर्गत कुंवर ब्रजेन्द्र सिंह के मकान से राजू साहू आटा चक्की तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	730359.00	730.00+18.00% GST	73100.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
11.	वार्ड नं० 18 के अन्तर्गत सियाराम यादव के मकान से राजकुमार कुशवाहा के मकान तक एवं नेहरु पार्क से गल्ला मण्डी रोड तक सड़क का डामरीकरण कार्य।	837532.00	840.00+18.00% GST	83800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
12.	वार्ड नं० 21 सिमरधा के अन्तर्गत पाल कालोनी में मेन रोड हाईवे से सुमन आईस फैक्ट्री तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	819683.00	820.00+18.00% GST	82000.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
13.	वार्ड नं० 21 सिमरधा के अन्तर्गत पाल कालोनी में फाइबर दरवाजे की दुकान से रेलवे क्रासिंग तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	762190.00	765.00+18.00% GST	76300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
14.	वार्ड नं० 22 में मेन रोड श्मशानघाट से पार्क तक डामरीकरण का कार्य।	1217364.00	1220.00+18.00% GST	121800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)

15.	वार्ड नं० 22 में वार्ड ऑफिस से पंकज वंशकार तक डामरीकरण का कार्य।	1241160.00	1245.00+18.00% GST	124200.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
16.	वार्ड नं० 23 लहरगिर्द के अन्तर्गत एस०बी०आई० कॉलोनी में प्रमोद मिश्रा के मकान के सामने से इकबाल सिंह यादव के मकान तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	662588.00	665.00+18.00% GST	66300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
17.	वार्ड नं० 24 सिमरधा में श्मशानघाट से आटा चक्की होते हुए हरिशचन्द्र पाल तक डामरीकरण का कार्य।	1260258.00	1260.00+18.00% GST	126100.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
18.	वार्ड नं० 27 के अन्तर्गत अहिल्या ड्राई क्लीन से दीपक समेले के मकान होते हुए वी०जी०एम० स्कूल तक एवं सुभ कलैक्शन से पेट्रोल तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	817769.00	820.00+18.00% GST	81800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
19.	वार्ड नं० 30 के अन्तर्गत पंचवटी पानी की टंकी के पास शंकर जी मन्दिर से दूल्हा सैयद की मजार तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	1172588.00	1175.00+18.00% GST	117300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
20.	वार्ड नं० 33/27 के अन्तर्गत दीपक की दुकान से के०जी०एम० चिकन शॉप तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	1184646.00	1185.00+18.00% GST	118500.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
21.	वार्ड नं० 33/27 के अन्तर्गत श्याम चौपड़ा मुक्तिधाम से नारायण बाग गेट नं० 01 तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	1266865.00	1270.00+18.00% GST	126700.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
22.	वार्ड नं० 39 के अन्तर्गत दूल्हा सैयद मजार से फिल्टर क्रासिंग तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	969008.00	970.00+18.00% GST	97000.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
23.	वार्ड नं० 41 नन्दनपुरा के अन्तर्गत कमल चौराहा नीलम वर्मा के मकान से राजेश सोनकर के मकान तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	652126.00	655.00+18.00% GST	65300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
24.	वार्ड नं० 45 में गुरुजी लॉज से मुकेश किराना स्टोर तक एवं राम गोपाल केसरिया से संकल्प ट्रेडर्स तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	556728.00	560.00+18.00% GST	55700.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
25.	वार्ड नं० 50 के अन्तर्गत बड़ागांव गेट बाहर सूजे खां खिड़की के पास स्थित सर्वेश्वर महादेव मन्दिर से सूरज प्रसाद राय के मकान तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	782627.00	785.00+18.00% GST	78300.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
26.	वार्ड नं० 54 के अन्तर्गत मित्तल गिफ्ट से अजय इन्क्लेव कॉलोनी का गेट होते हुए संजीव बरसईया के मकान तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	544132.00	545.00+18.00% GST	54500.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
27.	वार्ड नं० 52/56 के अन्तर्गत दतिया गेट से गेड़ा स्वीट्स तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	657535.00	660.00+18.00% GST	65800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
28.	वार्ड नं० 59/19 एवं 20 के अन्तर्गत मुरली मनोहर मन्दिर के सामने से बड़ागांव गेट तक सड़क डामरीकरण का कार्य।	845439.00	845.00+18.00% GST	84600.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
29.	वार्ड नं० 08,34,37,43,40,41,17,21,23,16,31,53 एवं अन्य वार्डों में हाटमिक्स प्लांट द्वारा पक्का पैच मरम्मत का कार्य।	824412.00	825.00+18.00% GST	82500.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
30.	वार्ड नं० 58,51,55,44,47,35,57,36,46,49,56 एवं अन्य वार्डों में हाटमिक्स प्लांट द्वारा पक्का पैच मरम्मत का कार्य।	687117.00	690.00+18.00% GST	68800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)
31.	वार्ड नं० 50,39,48,27,32,30,60,52,54,04,14 एवं अन्य विभिन्न वार्डों में पक्का पैच मरम्मत का कार्य।	827657.00	830.00+18.00% GST	82800.00	एक माह	ऐ श्रेणी (एच०एम०पी०)

नोट-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झोंसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झोंसी में निहित होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

8. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
9. प्रत्येक निविदादाता ₹100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
12. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश सं0 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
14. जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
15. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे-खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम,झाँसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
18. ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर प्रश्नगत कार्य की निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
20. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है, निर्धारित 90 दिनों से अधिक दिनों की बोली वैधता प्रस्तुत करने वाली फर्मों की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> से लोड किया जा सकता है।
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
26. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
27. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे प्रथम न्यूनतम निविदादाता द्वारा क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
28. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
29. कार्य के साथ निर्गत कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
30. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
31. निविदादाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर परएस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।

32. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
33. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी निविदादाता को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता निविदादाता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
34. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
35. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
36. ग्रेडिड प्लास्टिक का इण्डियन रोड कांग्रेस एवं नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेन्सी, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार विटुमिन बी0जी0 10 एवं बी0जी0 30 में 6 से 8 प्रतिशत तक मिलाकर सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाना होगा जिसकी नगर निगम के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की खरीद की पूर्वी सम्बन्धित पट्टावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
37. मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कार्य सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
38. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
39. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
41. प्रकाशित निविदा में उल्लेखित कार्यों में यदि विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित हो तो निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण/ए- श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
42. सर्वनिम्न निविदादाता को कार्यालय से स्वीकृति पत्र निर्गत होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को नियत तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस जारी कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
43. पी0डब्लू0डी0 के **Model Bidding Document for construction of roads** के सेक्शन-2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि **"if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit."** के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
44. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या TC/314/8/DLB/2020 दिनांक 01.01.2021 के अनुसार **"Bids from Joint Venture are not Allowed"** का प्राविधान है। अतः Joint Venture के रूप में प्रतिभाग करने वाली फर्मों की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 1453/जनकार्य वि0/न0नि0/2026-27

दिनांक :-17/09/2026

प्रतिलिपि :-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण/दैनिक स्वदेश, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
4. आई0टी0एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी।